JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# जैव विविधता संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम, 2002 की भूमिका

Dr. Rajshree Choudhary[1]
Ms. Manju Kumawat[2]

Associate Professor, College of Law
Mohan Lal Sukhadiya University, Udaipur (Raj.)[1]
Research Scholar, College of Law
Mohan Lal Sukhadiya University, Udaipur (Raj.)[2]

## सार

पृथ्वी पर मानव अस्तित्व जैव विविधता के माध्यम से ही संभव है | पृथ्वी पर जैव विविधता समस्त जीवों का जीवन निर्वाह करने वाला साधन है | जिसमे स्थलीय, समुंद्री और सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है | जैव विविधता भोजन का स्रोत, ओषधियों का आधार एवम् व्यापार और व्यवसाय के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है | इसी कारण जैव विविधता के नुकसान का पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्रजाति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा होगा जो प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का कारण है | भारत विविध प्रजातियों वाला देश है जहां अनोखी प्रजातियां होने का वैश्विक रिकॉर्ड है | भारत विश्व की जैव विविधता का बड़ा हिस्सा है | परन्तु बढती आबादी, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग, जलवायु परिवर्तन, मानव विकास, एवम् बढ़ता प्रदुषण जैव विविधता को विकृतता की ओर ले जा रहा है | भारत में वर्ष 2002 तक जैव विविधता संरक्षण से सम्बंधित कोई विशेष कानून नहीं था | 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई कन्वेंशन के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतू भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित किया गया | वर्तमान में विकृत होती जैव विविधता भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है, यद्यपि राष्ट्रीय व राज्य जैव विविधता प्राधिकरण अपने स्तरों पर समस्याओं से निपटने का कार्य तो कर रहे है परन्तु स्थानीय स्तर तक अपर्याप्त पहुँच, आनुवंशिक संसाधनों को जैव विविधता अधिनियम में शामिल न करना और पहुँच लाभ साँझा करने जैसी कई कमियां पाई गई है | प्रस्तुत शोध लेख जैव विविधता संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कर उनके लिए व्यवहारिक समाधान प्रदान करने का प्रयास भी करता है |

## परिचय

भारत में वैदिक काल से ही पर्यावरण की रक्षा एवम् संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को अपनाया गया है | जहां पेड़ो में देवताओ का वास बताया है वही नदियों में देवियों का निवास | प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रकृति के साथ जोड़ कर उसकी देखरेख की जाती थी | वेदों–उपनिषदों से रामयाण–महाभारत काल तक प्रकृति को संझोए रखने का विवरण मिलता है |

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था परन्तु पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 (a) एवम् मूल कर्तव्यो में 51 (g) के प्रावधानों को जोड़ा गया | पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओ को महसूस करते हुए भारत में समय समय पर अनेकों अधिनियमों को अधिनियमित किया गया परन्तु पर्यावरण संरक्षण से सम्बंधित अनेक कानून होने के पश्चात् भी

भारत में जैव चोरी, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन ओर जैविक संसाधनों के संबध में कानून नहीं होने के कारण एक नई पहल की आवश्यकता महसूस हुई | रिओ डी जिनेरियो में 1992 में हुई कन्वेंशन के आधार पर भारत सरकार ने एक मसौदा तैयार किया जिसे जैव विविधता विधेयक 2000, के रूप में जाना जाता है | जिसके आधार पर जैव विविधता अधिनियम 2 दिसम्बर 2002 को लोकसभा और 11 दिसम्बर 2002 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था | जिसे 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति की सहमती प्राप्त हुई | यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित एवम् संसाधनों से होने वाले लाभों में समानता बनाए रखने के लिए निर्धारित है|

## जैव विविधता

जीवधारियो और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक सम्बन्ध की पारिस्थितिकी के अलावा एक ओर कड़ी होती है जिसे जैव विविधता कहते है | जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है | अर्थात किसी निश्चित भोगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवो एवम वनस्पतियों की संख्या एवम् प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है | हमारे चारो ओर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा वृक्ष और लताए यहाँ तक की सूक्ष्म जीव भी पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखते है | इस प्रकार वनस्पति एवम् जीवो में एक दुसरे पर निर्भरता होती है | 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा के अनुसार – जैव विविधता समस्त स्त्रोतों यथा–अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवम् अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवो के मध्य अन्तर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग है, में पाई जाने वाली विविधता है |

## भारत में जैव विविधता संरक्षण

5 जून, 1992 को ब्राजील में जैव विवधता संधि के लागू होने के पश्चात् विश्वभर के देशो ने अपने अपने देशो में भी जैव विविधता संरक्षण के लिए कानून बनाना प्रारंभ कर दिया भारत में भी इसी के तहत जैव विविधता अधिनियम 2002 अस्तित्व में आया | यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवम् उसके धारणीय विकास को ध्यान में रखकर बनाया है |

### जैव विविधता अधिनियम की मुख्य विशेषताए है –

1. देश के जैविक संसाधनों तक पहुँच का विनियमन
2. जैव विविधता का संरक्षण और स्थायित्व
3. जैव विविधता के सम्बन्ध में स्थानीय समुदायों के ज्ञान की रक्षा करना
4. जैविक संसाधनों के संरक्षक और जैविक संसाधनों के उपयोग से सम्बंधित जानकारी के धारको के रूप में स्थानीय लोगो के साथ लाभों को सुरक्षित रूप से साझा करना
5. संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास
6. प्रबंध समितियों की स्थापना के माध्यम से जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की व्यापक योजना में राज्य सरकारों के संस्थाओ को शामिल करना |

### जैव विविधता अधिनियम के उद्देश्य –

जैव विविधता अधिनियम के तीन मुख्य उद्देश्य है –

1. जैव विविधता का संरक्षण,
2. इसके घटकों का सतत उपयोग
3. आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा

जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य पारम्परिक ज्ञान को सुरक्षा प्रदान करता है, बायो पाइरेसी को रोकता है एवम् सरकार की अनुमति के बिना पेटेंट का दावा करने से रोकता है जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके |

जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैव विविधता से सम्बंधित परिभाषाओं, सम्बन्धित सिदान्तो, जैव विविधता संरक्षण, पहुँच लाभ को साझा करने सम्बन्धी प्रावधानों, जैव विविधता प्राधिकरण एवम् अधिनियम के उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिये स्थापित संस्थागत ढांचे का उल्लेख करता है |

## जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम, 2002

1 अधिनियम की धारा 36 केन्द्रीय सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कूटनीतियों और योजनाओ को विकसित करने के सम्बन्ध में बताती है| इस धारा के तहत केंद्र सरकार पर जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न जिम्मेदारी है –

I. केन्द्रीय सरकार जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं ओर कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है|

II. यदि जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र या संसाधनों पर कोई खतरा मंडरा रहा है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है की वह संबंधित राज्य सरकार को सूचित करे की वह तत्काल सुधार के उपाय अपनाए |

III. केंद्रीय सरकार जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग को सुसंगत क्षेत्रीय या प्रतिक्षेत्रिय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में एकीकृत करेगी |

IV. केंद्र सरकार को जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने या इसे रोकने तथा हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए उपाय करेगी |

V. केन्द्रीय सरकार जैव विविधता से सम्बंधित स्थानीय जनता के ज्ञान पर विचार करने और उसे संरक्षित करने के लिए ऐसे उपाय अपनाएगी जिसमे स्थानीय, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के रजिस्ट्रीकरण और विशिष्ट प्रणाली सहित संरक्षण के अन्य उपाय सम्मिलित हो सके |

2 अधिनियम की धारा 37 में जैव विविधता विरासत स्थलों की घोषणा शामिल है | जिस सम्बन्ध में राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रो को जैव विविधता विरासतीय स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकेगी | राज्य सरकार सभी विरासतीय स्थलों के प्रबंध और संरक्षण के लिए नियम बना सकेगी तथा यह धारा आर्थिक रूप से प्रभावित किसी व्यक्ति या जनता के वर्ग के प्रतिकर के लिए स्कीम बनाने का कार्य करती है | उक्त धारा प्राकृतिक परिवेश एवम् जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र की रक्षा के बारे में बताती है |

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग के अंबोली में एक मंदिर को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। ठाकरे वाइल्डलाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक कर्मचारी ने मंदिर के तालाब में 'शिस्टुरा हिरण्यकेशी' मछली की प्रजाति को पाया है। 'शिस्टुरा हिरण्यकेशी' मछली मीठे पानी में पायी जाने वाली प्रजाति है। इसके निवास स्थान को जैवविविधता विरासत स्थल घोषि–त करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक दुर्लभ प्रजाति है और मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण, इसके विलुप्त होने का खतरा है।

3 अधिनियम की धारा 38 विलुप्त प्रजातियों को अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में बताती है | उक्त धारा के तहत केन्द्रीय सरकार की सम्बंधित राज्य सरकार से परामर्श कर समय समय पर प्रजातियों को जो कि विलुप्त होने के कगार पर है या भविष्य में जिनका विलुप्त होना संभावित है, को विलुप्त प्रजाति के रूप में अधिसूचित कर सकेगी तथा किसी प्रयोजन के लिए उन प्रजातियों के संग्रहण के लिए प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी ओर प्रजातियों के संरक्षण के लिए कदम उठा सकेगी|

4 धारा 39 केंद्र सरकार को जैविक सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के संग्रहालयो को अभिहित करने की शक्ति प्रदान करती है |

5 जबकि धारा 40 के तहत केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से राजपत्र में अधिसुचना द्वारा किन्ही ऐसी मदों को लागु नहीं होगे जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक रूप में व्यापार के लिए जैव संसाधन सम्मिलित है |

पर्यावरण सहायता समूह बनाम राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण के मामले में जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 40 को अवैध और असंवेधानिक घोषित करने के लिए अपील की गई थी क्योंकि कुछ प्रजातियों के गंभीर रूप से लिप्तता राष्ट्रीय हित और जैव विविधता को खतरे में डाल सकता था | यह बैगन की स्थानीय किस्मो के आपराधिक जैव चोरी में लिप्त सार्वजानिक कृषि विश्वविद्यालयो की ओर अधिकारियो का ध्यान आकर्षित करना चाहता था |

याचिकाकर्ताओ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें इसके 190 पोधो में से 18 गंभीर रूप से लुप्तप्राय पोधे मिले है जो सामान्य रूप से व्यापारिक समुदाओ के रूप में है | याचिका में ये भी तर्क दिया गया कि जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 40 भारत की जैविक सम्पदा के मनमाने और मुक्त व्यापार की अनुमति देती है जिसे व्यापक रूप से जैव चोरी हो सकती है | कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन प्रतिवादियो के आपराधिक अभियोजन के तहत दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया |

## जैव विविधता प्राधिकरण और जैव विविधता अधिनियम, 2002

1 जैव विविधता अधिनियम की धारा 8 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करती है जबकि धारा 22 राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना के प्रावधानों के बारे में बताती है | अधिनियम की धारा 22 (2) संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन की अनुमति नहीं देती है | जैव विविधता प्राधिकरण केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों एवम् कार्यो का प्रयोग करता है | राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अपनी सभी या किन्ही शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को सौप सकती है| राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है एवम् सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है |

2 अधिनियम की धारा 13 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के तहत कार्यो के प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए समितियां बना सकती है तथा ऐसी समिति में उन व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य नहीं है | उन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बैठकों व् कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है लेकिन मतदान का नहीं |

3 धारा 19 में कोई भी व्यक्ति जो भारत में पाए जाने वाले जैव संसाधन या उससे सहयोजित ज्ञान को, अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए भारत से प्राप्त जैव संसाधन से सम्बंधित किसी अनुसंधान के परिणामो के अंतरण को प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित प्ररूप और फीस के साथ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है |

4 वही धा रा 19 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति पेटेंट या बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के लिए भारत में या भारत से बाहर आविष्कार, अनुसंधान, ज्ञान या अध्ययन करना चाहे तो निश्चित प्ररूप और फीस के साथ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेगा |

## अपराध, दंड और जैव विविधता अधिनियम, 2002

1 धारा 54 केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवम राज्य जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है | इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून से असंगत होते हुए भी प्रभावी होगी जो धारा 59 के तहत निर्धारितानुसार कार्य करेगे |

2 जैव विविधता अधिनियम की धारा 58 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा |

3 धारा 61 के अनुसार केन्द्रीय सरकार या सरकार द्वारा प्रधिकृत या अधिकारी द्वारा या फायदे के दावेदार द्वारा परिवाद किए जाने की सुचना पर ही संज्ञान लिया जायेगा |

## शास्तियां और जैव विविधता अधिनियम, 2002

1 अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में यदि कोई विदेशी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना जैव विविधता से सम्बंधित गतिविधियों को शुरू करता है या

2 अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन में कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी व्यक्ति के फायदे के लिए भारत में प्राप्त जैविक संसाधनों से सम्बंधित शोध के परिणाम देता है या

3 अधिनियम के धारा 6 के उल्लंघन में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों से सम्बंधित अनुसंधान या जानकारी पर ही किसी बोद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति या

4 अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए यदि भारत का कोई नागरिक वैद्य या हकिमो को छोड़कर जो स्वदेशी दवाओ का अभ्यास कर रहा है राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व सुचना दिए बिना व्यावहारिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण के लिए कोई जैविक संसाधन प्राप्त करते है या

5 धारा 24 (1) का उल्लंघन करते हुए भारत का कोई भी नागरिक या भारत में पंजीकृत एक कॉर्पोरेट संगठन, वाणिज्यिक कार्य के लिए जैविक संसाधन प्राप्त करने की गतिविधि का लक्ष्य रखता है और राज्य जैव विविधता बोर्ड को सुचना नहीं देता है, तो

वह इस अधिनियम के तहत 5 वर्ष के कारावास और 10 लाख के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा |

## जैव विविधता अधिनियम, 2002 की कमियां

जैव विविधता अधिनियम में अनेकों सकारात्मक और योग्य विशेषताओं के होते हुए भी इस अधिनियम में कई खामियां पाई गई है जो कहीं ना कहीं जैव विविधता संरक्षण में कमी को दर्शाती है |

1 जैव विविधता संरक्षण के प्रावधानों से विपरीत यह अधिनियम जैविक संसाधनों के व्यवसायिक उपयोग से लाभ बंटवारे को रोकने पर विशेष जोर देती है |
2 इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विकसित राष्ट्रों द्वारों की जा रही जैव चोरी को रोकना था परंतु जैव विविधता संरक्षण से संबंधित उद्देश्य को पाने का अवसर कोसों दूर रहा |
3 जैव विविधता अधिनियम न तो विकृत जैव विविधता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है एवं न ही वर्तमान मौजूदा अन्य पर्यावरण संरक्षण कानूनों के साथ इस अधिनियम का सामंजस्य है |
4 उक्त अधिनियम गैर एकाधिकार फर्मो, स्थानीय समुदाय या व्यक्तिगत अधिकारों द्वारा किए गए आविष्कारों के आंकलन हेतु किसी प्रकार के दिशा निर्देश निर्धारित करने में योगदान नहीं करता है |
5 पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर केवल उन संसाधनों के लिए खुला है जो किसी विशेष क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करना चाहती है यह अधिनियम रजिस्टर में दर्ज की गई जानकारी को कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं करता है |
6 उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के तहत लाभो का साझाकरण तो किया जा रहा है परंतु इसका निश्चितिकरण करने हेतु दस्तावेजीकरण जैसा कोई प्रावधान नहीं है, जो इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी है |

## सुझाव

जैव विविधता अधिनियम 2002 के बेहतरीन कार्यान्वयन एवं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में गुणवता सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव है–

1 भारत में वर्षों से प्रदूषको का जल में विलय, संचालित कल कारखानों के रसायनिक प्रदूषक एवं वर्तमान में देश में आए कोरोना संकट के समय अपशिष्ट पदार्थो, मानव देह का नदियों तालाबों में बहना जल पर संकट है | यदि इस अधिनियम का जल संरक्षण अधिनियम के साथ सामंजस्य बैठाकर उचित प्रवर्तन किया जाए तो निश्चित ही पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने में सहायता मिलेगी|

2 यदि भारत देश में जैविक चोरी को रोकना है तो जैव विविधता अधिनियम के तहत जैविक की परिभाषा को व्यापक रूप देना होगा क्योंकि वर्तमान परिभाषा जैविक एवं अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और व्यवहार्य उपयोग हेतु सर्व समावेशी संरचना प्रदान नहीं करती है |

3 जहां एक तरफ अधिनियम नवाचारों, संसाधनों, उत्पादो आदि के प्रति राष्ट्र या राज्य के एकमात्र अधिकार की बात करता है वही आनुवंशिक संसाधनों के लिए जैव विविधता अधिनियम कोई प्रावधान एवं सुरक्षा नहीं रखता है जो कि इसके शोषण का जिम्मेदार हो सकता है | अनुवांशिक सामग्री को अधिनियम के दायरे से बाहर करने से भविष्य में 'क्लोनिंग संकट' की समस्या आ सकती है|

4 इस अधिनियम के तहत जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्र एवम् राज्य स्तर पर बोर्ड एवं समितियां बनाने का प्रावधान है परंतु यदि मंत्रालय स्वयं इस कार्य को अपने हाथों से कर, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करें साथ ही मानव समाज स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए जवाब देह हो तो पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा एवं उसके संतुलन में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है

5 सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यो को जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों के रूप में घोषित कर समय समय पर अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करें|

6 जैव विविधता प्रबंधन समितियों एवं स्थानीय निकायों के मध्य आधिकारिक सम्बन्ध नहीं है जिससे वे निम्न स्तर पर आम विवाद एवं संघर्ष को सुलझा सके | यदि अधिनियम के तहत एक विशेष समिति की शुरुआत की जाए तो स्थानीय निकाय एवं प्रबंध समितियों के मध्य एकीकरण होगा और वे एक समय में एक साथ किसी भी कार्य को कर सकेगे |

7 बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामलों में जैव विविधता अधिनियम 2002 स्थानीय समुदायों को मान्यता देने और सशक्त कानून बनाने के बजाय व्यवसायीकरण की ओर जोर देता है |

8 ऑस्टिन का सिद्धान्त कहता है की संप्रभु के आदेश की अवहेलना करने वाले को दंड देना चाहिए| परन्तु जैव विविधता अधिनियम जो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, यदि आम नागरिक द्वारा जैव विविधता को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है |

## निष्कर्ष

जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत में लागू किए 20 वर्ष हो गए गए है फिर भी यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण की प्रगति में आज भी निम्न सीढ़ी पर है | अधिनियम को संचालित करने में स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है तब ही इस अधिनियम का क्रियान्वयन सही रूप में हो सकेगा | निरंतर संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या में वृद्धि अधिनियम के कानूनों को सही ढंग से क्रियान्वित करने एवम् जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता की ओर इशारा करती है | जैव विविधता का संरक्षण पृथ्वी के अस्तित्व के समय की परंतु वर्तमान चुनौतियों में से एक है | पृथ्वी का अस्तित्व बचा कर रखना है तो हमें हमारी जैव विविधता को संरक्षित रखना होगा | इसके लिए कानून, नीतियां, और वैश्विक सम्मलेन से ज्यादा मानव स्वयं की भागीदारी आवश्यक है जो अपने विकास की दौड़ में पर्यावरण एवम् जैव विविधता को नष्ट कर रहा है |

## संदर्भ सूची


1 जैव विविधता अधिनियम, 2002

2 https://blog.ipleaders.in/overview-biological-diversity-act-2002/

3 https://www.lawctopus.com/academike/biodiversity-act-2002-analysis

4 https://www.jstor.org/stable/43267552

5 https://www.dhyeyaias.com/hindi/current-affairs/daily-current-affairs/amboli-declared-a- biodiversity-heritage-site

6 https://www.mpgkpdf.com/2020/10/definition-of-biodiversity.html

7 http://indiankanoon.org